प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भगाराम पुत्र चेनाराम जाति देवासी रॉयल इन्फोटेक,महावीर मार्केट रामसीन		राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर
प्रकरण अपील		29 /2018
कम्प्यूटर आई.डी		2018/ 00123

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

20.11.2018	अपीलांट अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट उपस्थित।राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर का जवाब प्राप्त हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर ने जवाब में व्यक्त किया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 11.10.2018 को प्राप्त होने पर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत उप तहसीलदार रामसीन को अंतरित किया गया। उप तहसीलदार रामसीन द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर संबंधित से संकलित कर आवेदित सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/884 दिनांक 16.11.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अत: अपील में कार्यवाही ड्रॉप की जावे। हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर के जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 41 एफ 010554 के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2018 से आवेदित सूचना अपीलांट को राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर द्वारा जरिए पत्रांक/884 दिनांक 16.11.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नि:शुल्क भिजवाई जा चुकी है। इस प्रकार प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। (बी.एल.कोठारी) प्रथम अंपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर